FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0249 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/09/2026 13:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 31/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/09/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/09/2026 13:32:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARIWADI KE MAKAN KE PASS SHEETALA MATA PARK KE SAMANE, I.H.S. COLONY SAWAI MADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** SHUBHAM GUPATA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE. RAJESH KUMAR GUPATA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHEETALA MATA PARK KE SAMANE, I.H.S. COLONY SAWAI MADHOPUR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHEETALA MATA PARK KE SAMANE, I.H.S. COLONY SAWAI MADHOPUR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MOHAMMAD NADEEM QURESHI		पिता:MOHAMMAD ALEEM QURESHI	1. DHMOOD ROAD,KHAIRDA,MANTOWN,SAWAI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		70,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 70,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिष्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं शुभम गुप्ता पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार गुप्ता जाति महाजन उम्र 31 वर्ष निवासी बजरिया सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मेरी स्वंय की बर्तन की दुकान है, जो ग्रेन गौदाम रोड बजरिया में है। मुझे नरेन्द्र कबाडी वाले ने तांबा बेचा था, जिसकी तारीख मुझे याद नही है और जिसका मुझे यह पता नही था कि यह तांबा रेल्वे का है या किसी अन्य चोरी का है। तांबा खरीदने के चार-पांच दिन बाद मुझे नदीम व अन्य पुलिसकर्मी नरेन्द्र कबाडी के साथ मेरी दुकान पर आये और नदीम ने कहा कि तुमने इस नरेन्द्र से रेल्वे में हुये चोरी के तांबे को खरीदा है, मैने कहा कि मुझे नही पता नरेन्द्र ने मुझे चोरी का तांबा बेचा है। इस पर नदीम व अन्य पुलिसकर्मी मुझे व नरेन्द्र कबाडी व भगवान जिन्दल को हमारी दुकानों से उठाकर आर.पी.एफ. थाना सवाई माधोपुर लाये थे। जहां अगले दिन हम तीनो को रेल्वे कोर्ट कोटा में पेश कर जैल भेज दिया था। इसके दो दिन बाद हम तीनों की जमानत हो गयी। इसके बाद दिनांक 11.07.2026 को मैं, भगवान जी व नरेन्द्र तीनों हमारे विरूद्ध दर्ज केस में तारीख पर रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर गये। जहां पर नदीम पुलिसकर्मी ने मेरे से कहा की तेरा नाम लाखेरी रेल्वे पुलिस चैकी में हुई तांबे की चोरी में भी तेरा नाम है। मैने कहा कि मैने कोई रेल्वे के चोरी के सामानों को नही खरीदा है। इस पर नदीम ने कहा कि मैं रेल्वे पुलिस चैकी लाखेरी में हुई चोरी के मामलों मे तेरा नाम नही आने दूंगा और तुझे मुल्जिम भी नही बनाउंगा लेकिन तुझे एक लाख रूपये देने होगें। इस प्रकार आर.पी.एफ. चैकी लाखेरी में तैनात नदीम मुझसे लाखेरी रेल्वे पुलिस चैकी में हुई चोरी के प्रकरणों में मुल्जिम नही बनाने का दबाव बनाकर एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। जबकि मेरा रेल्वे में हुई चोरी के प्रकरणों में मेरा कोई लेना-देना नही है। मैने रेल्वे की चोरी का कोई सामान नही खरीदा है। मैं उक्त नदीम को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी नदीम खान आरपीएफ पुलिसकर्मी से कोई रंजिश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- शुभम गुप्ता पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार गुप्ता जाति महाजन उम्र 31 वर्ष निवासी शीतला माता पार्क, के सामने आई.एच.एस. कोलोनी सवाई माधोपुर मो. नं. दिनांक-25.08.2026 हस्ता. रामेश्वर परिहार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर दिनक 25.08.2026, ह0 स्वतंत्र गवाह- सिंगराज मीना व शेख अबसार अली दिनांक 31.08.2026, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 25.08.2026 को परिवादी श्री शुभम गुप्ता पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार गुप्ता जाति महाजन उम्र 31 वर्ष निवासी बजरिया सवाई माधोपुर ने मन अति0 पुलिस अधीक्षक को कार्यालय उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट मय आधार कार्ड पेष की। परिवादी से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया एवं लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि मैं शुभम गुप्ता पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार गुप्ता जाति महाजन उम्र 31 वर्ष निवासी बजरिया सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मेरी स्वंय की बर्तन की दुकान है, जो ग्रेन गौदाम रोड बजरिया में है। मुझे नरेन्द्र कबाडी वाले ने तांबा बेचा था, जिसकी तारीख मुझे याद नही है और जिसका मुझे यह पता नही था कि यह तांबा रेल्वे का है या किसी अन्य चोरी का है । तांबा खरीदने के चार-पांच दिन बाद मुझे नदीम व अन्य पुलिसकर्मी नरेन्द्र कबाडी के साथ मेरी दुकान पर आये और नदीम ने कहा कि तुमने इस नरेन्द्र से रेल्वे में हुये चोरी के तांबे को खरीदा है, मैने कहा कि मुझे नही पता नरेन्द्र ने मुझे चोरी का तांबा बेचा है। इस पर नदीम व अन्य पुलिसकर्मी मुझे व नरेन्द्र कबाडी व भगवान जिन्दल को हमारी दुकानों से उठाकर आर. पी.एफ. थाना सवाई माधोपुर लाये थे। जहां अगले दिन हम तीनो को रेल्वे कोर्ट कोटा में पेश कर जैल भेज दिया था। इसके दो दिन बाद हम तीनों की जमानत हो गयी। इसके बाद दिनांक 11.07.2026 को मैं, भगवान जी व नरेन्द्र तीनों हमारे विरूद्ध दर्ज केस में तारीख पर रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर गये। जहां पर नदीम पुलिसकर्मी ने मेरे से कहा की तेरा नाम लाखेरी रेल्वे पुलिस चैकी में हुई तांबे की चोरी में भी तेरा नाम है। मैने कहा कि मैने कोई रेल्वे के चोरी के सामानों को नही खरीदा है। इस पर नदीम ने कहा कि मैं रेल्वे पुलिस चैकी लाखेरी में हुई चोरी के मामलों मे तेरा नाम नही आने दूंगा और तुझे मुल्जिम भी नही बनाउंगा लेकिन तुझे एक लाख रूपये देने होगें। इस प्रकार आर.पी.एफ. चैकी लाखेरी में तैनात नदीम मुझसे लाखेरी रेल्वे पुलिस चैकी में हुई चोरी के प्रकरणों में मुल्जिम नही बनाने का दबाव बनाकर एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। जबकि मेरा रेल्वे में हुई चोरी के प्रकरणों में मेरा कोई लेना-देना नही है। मैने रेल्वे की चोरी का कोई सामान नही

खरीदा है। मैं उक्त नदीम को रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। मेरी नदीम खान आरपीएफ पुलिसकर्मी से कोई रंजिश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पूछने पर परिवादी ने बताया कि आज मेरी उक्त प्रकरण में तारीख है और नदीम पुलिसकर्मी हर तारीख पर सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन पर आता है। मेरे विरूद्ध उक्त प्रकरण में भगवान जिन्दल जो भी बर्तन का व्यवसायी है, वो मेरा केसवार है। नदीम पुलिसकर्मी भगवान जिन्दल के मार्फत ही रिश्वत राशि की बात करेगा। वह रिश्वत राशि के सम्बन्ध में सीधे मेरे से बात नही करता है। आज मेरी भगवान जिन्दल से वार्ता हो गयी है, वह भी आज तारीख पर जायेगा, तो मेरी नदीम पुलिसकर्मी से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिष्वत राषि की मांग का होना पाया जाने पर समय 11.00 ए.एम पर रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में जरिये फर्द सिपुर्दगी डिजीटल वाइस रिकार्डर एवं नया मैमोरी कार्ड श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को सुपुर्द कर परिवादी शुभम गुप्ता व श्री राजवीर सिंह कानि. व परिवादी को अपने-अपने निजी वाहन मोटरसाईकिल से वास्ते रिष्वत मांग गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के बतायेअनुसार रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 12.45 पी.एम पर परिवादी शुभम गुप्ता व राजवीर सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से जरिये फर्द वापसी सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को प्राप्त कर सुना गया तो तो रिष्वत मांग सत्यपान वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी। इसके पश्चात समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री शुभम गुप्ता को नदीम पुलिसकर्मी को दिनांक 30.08.2026 को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 70,000/- रूपये की व्यवस्था करने व संदिग्ध आरोपी नदीम या भगवान जिन्दल द्वारा आगे से सम्पर्क करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या कार्यालय में आकर सुचित करने व ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 31.08.26 समय- 01.15 पी.एम पर परिवादी श्री शुभम गुप्ता उपस्थित कार्यालय आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास भगवान जिन्दल का काल आया और उसने कहा कि मेरे पास नदीम जी का फोन आया है और वो तुमसे बात करना चाहता है तथा परिवादी ने बताया कि अभी कुछ समय पहले नदीम पुलिसकर्मी का मेरे पास व्हाटसेप पर मिस काल आया है और परिवादी ने बताया कि मैं नदीम पुलिसकर्मी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 70,000/- रूपये की व्यवस्था करके लाया हॅू। इस पर समय करीबन 01.25 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जी.बी. मालखाने में से मंगवाकर डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाइस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध आरोपी नदीम पुलिसकर्मी के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाटसैप काल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी ने कहा कि मेरे पास भगवान जी का काल आया था, फिर नदीम जी ने मेरे से पूछा कि व्यवस्था पूरी हो गयी है क्या इस पर मैने कहा कि हा हो गयी। इस पर उन्होने कहा कि मै काल करके बताता हॅू। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके पश्चात परिवादी शुभम गुप्ता को कार्यालय में बिठाया गया। डिजिटल वाइस मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 02.00 पी.एम पर दिनांक 27.08.2026 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर से पाबन्दशुदा गवाह श्री शेख अबसार नर्सिंग आफिसर व श्री सिंगराज नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित कार्यालय आये उक्त दोनो गवाहान को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनके नाम पते पूछकर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की स्वीकृति चाही तो दोनो ने अपनी अपनी स्वयं की स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी, तत्पष्चात दोनो गवाहों का परिवादी श्री शुभम गुप्ता से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 25.08.2026 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये तथा गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। इसके पश्चात समय 02.10 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शेख अबसार नर्सिंग आफिसर व श्री सिंगराज मीना नर्सिंग ऑफिसर के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शुभम गुप्ता को संदिग्ध आरोपी श्री नदीम आर.पी.एफ. पुलिसकर्मी को रिष्वत में दी जाने वाली राशि 70,000/-रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 140 नोट कुल 70,000/-रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष करने पर पेष शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पष्चात श्री हम्मीर सिंह हैड कानि नं. 24 से ब्यूरो चैकी का मालखाना खुलवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाने में रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कक्ष में रखी साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 70,000/-रूपये के नोटो पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री शुभम गुप्ता की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री शेख अबसार नर्सिंग ऑफिसर से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के

अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया, इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 140 नोट कुल 70,000/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी श्री नदीम आर.पी.एफ. पुलिसकर्मी को दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये पेन्ट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और संदिग्ध आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा संदिग्ध आरोपी उक्त रिष्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा रिष्वत प्राप्त करने पर मौका स्थिति अनुसार अपने गले में टंगी स्वाफी को उतारकर या अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के या श्री राजवीर सिंह कानि. के मोबाईल पर मिसकाल कर ईषारा करे, साथ ही दोनों गवाहो को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व संदिग्ध आरोपी के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके पश्चात परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाने में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बाक्स में श्री हम्मीर सिंह हैड कानि. नं. 24 के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद श्री हम्मीर सिंह हैड कानि. 24 से ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाया गया तथा ट्रेप बौक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मोमबत्ती, सुई धागा, नमूना सील एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों/डीवीडी सहित रखवाये गये। इसके बाद समस्त ट्रेप पार्टी को कार्यालय कक्ष में बुलाकर समस्त ट्रेप पार्टी, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाषी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिष्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी श्री नदीम आर.पी.एफ. पुलिसकर्मी से होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय डले मैमोरी कार्ड (जिसमें आज दिनांक 31.08.2026 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी नदीम पुलिसकर्मी के मध्य हुई जरिये व्हाटसऐप काल वार्ता को रिकार्ड किया था) को चैक किया गया तो उक्त मैमोरी कार्ड में दिनांक आज दिनांक 31.08.2026 की रिकार्ड वार्ता रिकार्ड है, को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया एवं श्री राजवीर सिंह कानि. को मौका स्थिति अनुसार उक्त वाईस रिकार्डर परिवादी के संदिग्ध आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई गई, सभी ने सुन-समझ सही होना मानकर निम्न में अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे फोन का नेट बन्द है। मैने नेट चालू किया तो नदीम के समय 02.19 पी.एम व 02.25 पी.एम पर व्हाटसऐप काल आये हुये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को फर्द पेषकषी के दौराने सुपुर्द डिजिटल वाइस रिकार्डर मय डले मैमोरी कार्ड को चालू करवाकर समय 02.58 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध आरोपी नदीम पुलिसकर्मी के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाटसऐप काल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी नदीम ने परिवादी शुभम गुप्ता को उसके घर पर मिलने को कहा मैं आपको काल कर लूंगा। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। डिजिटल वाइस मय मैमोरी कार्ड को परिवादी शुभम गुप्ता को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात समय 03.10 पी.एम पर परिवादी श्री शुभम गुप्ता को स्वंय के निजी वाहन से संदिग्ध आरोपी नदीम पुलिसकर्मी के बताये अनुसार परिवादी के शीतला माता पार्क, के सामने आई.एच.एस. कालोनी सवाई माधोपुर स्थित मकान पर बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक व श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को राजवीर सिंह के निजी वाहन से व श्री मनोज कुमार कानि व घनश्याम कानि. चालक को मनोज कुमार कानि. 133 के निजी वाहन से तथा उनके पीछे-पीछे भोलाराम कानि. 281 व श्री रणजीत सिंह कानि. को भोलाराम कानि. के निजी वाहन से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री शेख अबसार नर्सिंग आफिसर व श्री सिंगराज नर्सिंग ऑफिसर सहित मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय पिंरटर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक हम्मीर सिंह हैड कानि. 24 के एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी के शीतला माता पार्क, के सामने आई.एच.एस. कालोनी सवाई माधोपुर स्थित मकान पर के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा गया। इसके पश्चात समय 03.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा प्राईवेट वाहनो सहित परिवादी के शीतला माता पार्क, के

सामने आई.एच.एस. कालोनी सवाई माधोपुर पर स्थित मकान के पास पहुंचे, इसके कुछ समय बाद ही परिवादी के पास आरोपी नदीम का काल आया। इस पर राजवीर सिंह कानि. से परिवादी को सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को चालू करवाकर परिवादी शुभम गुप्ता को उसके मकान पर छोडकर मुनासिफ हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व स्टाफ सदस्यों के परिवादी के मकान के आस-पास अपने आप को छुपाते हुए खडे होकर परिवादी के नियत इषारे का इन्तजार करने लगे, तत्पश्चात परिवादी का नियत ईशारा मिलने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डाले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पष्चात् परिवादी ने अपने पास खडे व्यक्ति की और अंगुली का ईषारा कर बताया कि यही नदीम पुलिसकर्मी है। जिसने अभी-अभी मेरे से रिष्वत राषि 70,000/- रूपये अपनी पीठ पर टंगे बैग को उतारकर मोटरसाईकिल पर आगे रखकर मेरे से बैग के बीच वाले खाने में रखवाये थे, मैंने नदीम जी से कहा की पूरे सत्तर हजार है। फिर नदीम ने कहा ठीक है। फिर मैने कहा कि मेरा लाखेरी वाले मामले में कोई नाम नही आना चाहिये, इस पर नदीम ने कहा लाखेरी छोड इतने में मेरे ईषारे पर आप आ गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रणजीत सिंह कानि. 129 से विभागीय विडियों कैमरा चालू करवाकर विडियों रिकार्डिग की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मय गवाहान मय हमराहीयान के समक्ष उक्त व्यक्ति को अपना मय टीम के परिचय देते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद नदीम कुरेषी पुत्र श्री मोहम्मद अलीम कुरेषी जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष निवासी गांव बहतेड पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल आरक्षक आर.पी.एफ. आउट पोस्ट लाखेरी, आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेषी आरक्षक से परिवादी से ली गई रिष्वत राषि के बारे में पूछा तो मैंने शुभम गुप्ता से कोई रिष्वत राषि नही ली। इसके बाद पास ही खडे परिवादी शुभम गुप्ता ने आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेषी की बातों का खण्डन करते हुये बताया कि इस नदीम ने मेरे से कहा की तेरा नाम लाखेरी वाली चोरी मे आ रहा। इससे पहले भी मेरा नाम माधोपुर वाली चोरी में आया था, उसमें मुझे जेसी भिजवाया था। इन्होने मेरे से कहा कि तेरा नाम लाखेरी वाली चोरी में आ रहा है, तु मुझे पैसे देदे एक लाख रूपये, मैं उसे उपर ही उपर रफा कर दूंगा। फिर धीरे धीरे करके नदीम सत्तर हजार रूपये में तय हुआ, फिर अभी सत्तर हजार रूपये रूपये इन्होने अपने बैग में रखवाये है, जो बैग में रखे हुये है। इसके पष्चात मौके पर काफी भीड-भाड होने से अग्रिम कार्यवाही में विघ्न उत्पन्न होने की सम्भावना से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेषी आरक्षक यथा स्थिति के मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी मय ट्रेप उपकरणों मय ट्रेप सामग्री के मौके से रवाना होकर पुलिस थाना मानटाउन पहुंचा, जहां पर पुलिस थाना मानटाउन का एक कमरा पृथक से खुलवाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रणजीत सिंह कानि. 129 को विडियोग्राफी की हिदायत कर उक्त मोहम्मद नदीम कुरेषी के पीठ पर टंगे बैग को उतरावकर स्वतंत्र गवाह श्री सिंगराज नर्सिग ऑफिसर से उक्त बैग को चैक करवाया गया तो परिवादी के बताये अनुसार बैग की एक जैब में एक स्वाफी के पास पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की गडडी मिली, जिसे सिंगराज स्वतंत्र गवाह से निकलवाकर गिनवाये तो पांच-पांच सौ के कुल 140 नोट कुल 70,000/-रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। इस प्रकार उक्त बरामद शुदा नम्बरी रिष्वत राशि 70,000/- रुपये के सभी नोटो को एक सफेद रंग के हल्के हरे लिफाफे में रखवाकर, लिफाफे पर विवरण अंकित कर नमूना सील अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात गवाह श्री शेख अबसार से बैग की अन्य जैबो की तलाशी लिवायी गयी तो बैग की अन्य जैबो में आरोपी के नित्य कार्य में आने वाले सामान व आरपीएफ का पुलिस वैल्ट, एक मोबाईल रियलमी, एक चार्जर एक सैमसंग का सफेद कलर का की-पेड मोबाईल व अन्य सामान मिले व बैग की पीछे वाली जैब में आरोपी के कुछ दस्तावेज मिले, जिनको बाहर निकलवाकर एक पौलीथीन में सुरक्षित रखवाये इसके पश्चात प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर आदि मंगवाया गया तथा परिवादी शुभम गुप्ता के बताये अनुसार आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक द्वारा रिश्वत राशि को हाथ में नही लिया। इस कारण आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक के हाथों का धोबन नही लिया गया, इसके पश्चात ट्रेप बौक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्षी गिलास निकलवाकर पुलिस थाना मानटाउन परिसर में से पानी मंगवाकर उक्त डिस्पोजल गिलासों में श्री हम्मीर सिंह हैड कानि. 24 से पानी भरवाकर तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त डिस्पोजल गिलास में थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो डिस्पोजल गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेषी आरक्षक द्वारा परिवादी शुभम गुप्ता से आरोपी द्वारा अपने बैग की जैब जहां रिश्वत राशि रखवायी गयी, जहां से रिष्वत राषि, बरामद हुई थी, को ट्रेप बाक्स में रूही का फोहा निकलवाकर श्री हम्मीर सिंह हैड कानि. 24 से उक्त जैब को रूही के फोहे को गीला करके रगडवाकर धोवन लिया गया तथा रूही के फोहे को डिस्पोजल गिलास जिसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार था, उसमें धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त धोवन को दो साफ काच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- B-1, B-2

अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा रूही के फोहा जिससे रिश्वत राशि मिले बैग की जैब का धोबन लिया गया, उक्त रूही के फोहा को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर मार्क F दिया जाकर, थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात श्री रणजीत सिंह कानि. 129 से विडियोग्राफी बन्द करवायी गई। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक के मकान की खाना तलाशी ली जाना आवश्यक होने से श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक मय श्री रणजीत सिंह कानि. 129 मय जरिये दूरभाष कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर से तलबशुदा गवाहान श्री हर्षवर्धन कुमावत सूचना सहायक व श्री तेजप्रकाश गुप्ता सूचना सहायक मय विभागीय विडियो कैमरा मय लेपटाप, प्रिन्टर आदि उपकरणो मय प्राईवेट वाहन मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 के आरोपी के मकान की खाना तलाशी हेतु धमूण रोड खैरदा हेतु रवाना किया गया। इसके पश्चात आरोपी के बैग में मिली रिश्वत राशि के बैग का अवलोकन किया गया तो बैग काला कलर का है, जिसके उपर सफेद रंग में ADDEE BAGS लिखा हुआ है। उक्त बैग जिसमें आरोपी द्वारा वक्त रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी शुभम गुप्ता से रिश्वत राशि रखवायी थी, तथा उक्त बैग की जैब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस जैब को उलटाकर बाहर निकालकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त बैग व बैग के अन्दर रखी स्वाही सहित को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर थैली को मार्क B अंकित किया गया, इसके पश्चात काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकाडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकाडर में रिष्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक से परिवादी श्री शुभम गुप्ता के प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावलीयों के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि शुभम गुप्ता के विरूद्व आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर पर प्रकरण संख्या 05/26 दर्ज है जिसकी जांच सवाई माधोपुर रेल्वे पुलिस थाना के उप निरीक्षक पुलिस जय प्रकाश बगैल द्वारा की जा रही है। उक्त पत्रावली जांच अधिकारी के पास या आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर मे होगी तथा प्रकरण संख्या 01/2026 जिसमें शुभम गुप्ता का नाम नही है, उक्त प्रकरण की जांच प्रकाश सौलंकी उप निरीक्षक आउट पोस्ट लाखेरी द्वारा की जा रही है, उक्त पत्रावली जांच अधिकारी या लाखेरी आउट पोस्ट पर होगी, उक्त प्रकरण में भी अभी तक चालान पेश नही हुआ। मैने उक्त फाईलो में जांच अधिकारी के साथ मिलकर उनकी कार्यवाही में मदद की थी। जिससे मुझे उक्त प्रकरणों की जानकारी है। अतः उक्त प्रकरणो की पत्रावलीयों को पृथक से जप्त की जावेगी। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व बैग धुलाई की विभागीय विडीयो कैमरा से जरिये श्री रणजीत सिंह कानि. 129 से कराई गई थी। उक्त विडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जावेगी। इस समस्त कार्यवाही में धोवन की षीषियों, बैग के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की नम्बरी नमूना सील नम्बर 101 का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक को जाप्ता की निगरानी में छोडकर मय परिवादी मय स्तवंत्र गवाहान मय मनोज कुमार कानि. 133 मय लेपटाप, प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना मानटाउन से रवाना होकर घटनास्थल पहुंचा, जहां पर परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्ण रोशनी में घटना स्थल का नक्षा मौका व हालात मौका कसीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। बाद कार्यवाही मौके से रवाना होकर पुलिस थाना मानटाउन पहुंचने पर श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के मकान धमूण रोड खैरदा की गई खाना तलाशी पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.20 पी.एम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान एवं गिरफ्तारषुदा मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक, मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं जप्तषुदा रिष्वती राषि 70,000/-रूपये के लिफाफे, धोवन की सील्ड शीषियां एवं सील्डषुदा बैग पैकिट आदि मुताबिक फर्दात के प्राईवेट वाहनों से बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना मानटाउन से रवाना होकर एसीबी चैकी सवाई माधोपुर पहुंचकर जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिष्वत राषि, धोवन की सील्ड शीषीयों, बैग पैकिट को जमा मालखाना जरिये मालखाना प्रभारी श्री हम्मीर सिंह हैड कानि. 24 के करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया। इसके पश्चात अभियुक्त मोहम्मद नदीम कुरेशी पुत्र मोहम्मद अलीम कुरेशी जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल आरक्षक आउट पोस्ट लाखेरी, आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर हाल निवासी धमूड रोड खैरदा पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को परिवादी शुभम गुप्ता से रेल्वे पुलिस चैकी लाखेरी में हुई रेल्वे सम्पत्ति की चोरी के प्रकरणों में मुल्जिम नही बनाने का दबाब बनाकर एक लाख रूपये की मांग करना व वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.08.2026 को परिवादी शुभम गुप्ता के निवेदन करने पर सत्तर हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग के अनुसंरण में आज दिनांक 31.08.2026 को परिवादी को परिवादी के घर पर बुलाकर मांग कर रिश्वत राशि

70,000/- रुपये को परिवादी शुभम गुप्ता से अपने बैग की जैब में रखवाना एवं रिष्वत राषि आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक के बैग से बरामद होने का उक्त कृत्य अन्तगर्त धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध होने एवं आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक रेल्वे पुलिस चैकी लाखेरी, रेल्वे पुलिस थाना सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त धाराओं में हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक रेल्वे पुलिस चैकी लाखेरी, रेल्वे पुलिस थाना सवाई माधोपुर की तलाषी स्वंतन्त्र गवाह श्री सिंगराज मीना से लिवाई गई तो तलाषी में आरोपी के पहने हुये पेन्ट के दाहिनी जैब में एक मोबाईल स्काई ब्लू oppo कम्पनी जिसमें दो सिम कम्पनी एयरटेल नम्बर व है। उक्त मोबाईल को अनुसंधान में आवश्यकता होने से बतौर वहज सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं आरोपी के पहने हुये पेन्ट के पीछे की जैब में एक पर्स मिला, जिसमें पांच-पांच सौ रूपये के तीन नोट व सौ-सौ रूपये के तीन नोट कुल 1800 रूपये मिले, जो पूछने पर स्वंय के खर्चे पर पेट्रोल आदि के होना बताये, आरोपी का जबाव सतोषप्रद पाया गया व पर्स में एटीम व आधार कार्ड मिले, इसके अलावा कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं मिली। आरोपी की जामा तलाशी में मिले पर्स व पर्स के अन्दर मिली राशि 1800/- रूपये को आरोपी के परिजन उपस्थित आने पर सिपुर्द की जावगी। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से पत्नि हसीना बानो को पृथक से दी गई। इसके पश्चात आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक आर.पी.एफ. आउट पोस्ट लाखेरी से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिष्वत राषि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। इसके पश्चात श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता की मदद से आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात करवाया। समय 9.45 पीएम पर परिवादी से प्राप्तषुदा डिजीटल वाइस रिकार्डर में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे मैमोरी जिसमें परिवादी शुभम गुप्ता एवं आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.08.2026 रिकार्ड है को डिजिटल वाईस रिकार्डर में डालकर कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट करवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री शुभम गुप्ता के श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया एवं श्री राजवीर सिंह कानि. से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव SanDisk 32 जीबी मार्क-ए न्यायालय प्रति एवं मार्क-ए-1 मुलजिम प्रति एवं मार्क-ए-2 आई.ओ. प्रति में डब करवाई जाकर डब पैनड्राईवों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर पिंरट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति एवं मुल्जिम प्रति डब पैनड्राईवों को कवर में सुरक्षित रख कर पृथक-पृथक कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पेन ड्राईव मार्क ए-2 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए एवं मुलजिम प्रति पेन ड्राईव मार्क ए-1 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति मार्क-ए-2 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु उपयोग में लिये गये मूल सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकोर्डर से बाहर निकालकर उसको प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-एसडी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। इसके पश्चात श्री शंकर सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा जरिये सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक आर.पी.एफ. आउट पोस्ट लाखेरी, आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर को सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना मानटाउन मे सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराकर रसीद एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं आरोपी के सेवा विवरण की तहरीर व परिवादी से सम्बन्धित रिकार्ड की तहरीर आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर को देकर वापिस आये, रसीद व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 01.09.2026 को समय 12.15 ए.एम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 31.08.2026 को आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक एवं परिवादी शुभम गुप्ता के मध्य जरिये व्हाटसऐप काल हुई रिश्वत लेन-देन संबंधित वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन-देन रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में उक्त मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगाकर विभागीय कम्प्यूटर में चलाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर उपरोक्त रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री राजवीर सिंह कानि. से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन संबंधित व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ता की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव SanDisk 32 जीबी मार्क-बी न्यायालय प्रति एवं मार्क बी-1 मुलजिम प्रति मार्क-बी-2 आई.ओ. प्रति में डब करवाई जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों व मूल सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से से हैज वैल्यू निकाली जाकर पिरट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति व मुल्जिम प्रति डब पैनड्राईवों को कवरों में सुरक्षित रख कर अलग-अलग कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर

आई.ओ. प्रति पेन ड्राईव मार्क बी-2 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-बी एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-1 को शील्ड मोहर किया गया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिश्वत लेन-देन संबंधित वार्ता एंव रिश्वत लेन देन वार्ताओ को रिकार्ड करने हेतु उपयोग में लिये गये मूल सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकोर्डर से बाहर निकालकर उसको प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-एसडी-1 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति मार्क-बी-2 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री रणजीत सिंह कानि. 129 द्वारा रिष्वत राषि बरामदगी व हाथ धुलाई की विभागीय मोबाईल कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से संग्रहित करवाई जाकर मार्क सी व सी-1 एवं सी-2 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-सी व सी-1 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-सी-2 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हसताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दौराने कार्यवाही बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए, ए-1, मार्क-बी, बी-1 एवं मैमोरी कार्ड मार्क एसडी, एसडी-1 व सी व सी-1 को मालखाना प्रभारी श्री हम्मीर सिंह हैड कानि. 24 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद समय 08.15 ए.एम कार्यालय स्टाफ श्री प्रदीप गुर्जर मय जाप्ता से बन्द हवालात आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक को पुलिस थाना मानटाउन से प्राप्त कर हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। आरोपी को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 10.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 31.08.2026 को परिवादी शुभम गुप्ता व आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक के मध्य हुई जरिये व्हाटसएप मोबाईल काल वार्ता का परिवादी शुभम गुप्ता के मोबाईल से स्क्रीन शाट लेकर कार्यालय मेल आई.डी. पर ई-मेल करवाकर प्रिन्ट आउट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली किये गये। इसके पश्चात समय 12.40 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री शुभम गुप्ता के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर A.C.B SMR ¼101½ लिखा हुआ है, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मोहम्मद नदीम कुरेशी पुत्र मोहम्मद अलीम कुरेशी जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल आरक्षक रेल्वे पुलिस चैकी लाखेरी, रेल्वे पुलिस थाना सवाई माधोपुर हाल निवासी धमूड रोड खैरदा पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष विषिष्ठ न्यायालय भ्र0 नि0 अधि0 भरतपुर में वास्ते जेसी पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त मोहम्मद नदीम कुरेषी आरक्षक आर.पी.एफ. आउट पोस्ट लाखेरी, आर.पी. एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री शुभम गुप्ता से रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 01/2026 जांच अधिकारी जांच प्रकाश सौलंकी उप निरीक्षक आर.पी.एफ. आउट पोस्ट लाखेरी है एवं प्रकरण संख्या 05/2026 जिसके जांच अधिकारी रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर के उप निरीक्षक पुलिस जय प्रकाश बगैल द्वारा की जा रही है। उक्त दोनो प्रकरण में जांच जारी है। प्रकरण संख्या 05/26 में परिवादी शुभम गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण संख्या 01/26 एवं रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर की आउट पोस्ट लाखेरी में हुई रेल्वे सम्पत्ति की चोरी हुई उक्त प्रकरण संख्या 01/26 एवं अन्य प्रकरणों में आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी जो जांच अधिकारीयों के साथ कार्यवाही में सहयोग करता है, आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक को उक्त प्रकरण की जानकारी होने से आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेषी आरक्षक आर.पी.एफ. आउट पोस्ट लाखेरी, आर.पी.एफ. पोस्ट सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी शुभम गुप्ता का उक्त प्रकरण संख्या 01/26 एवं अन्य चोरी के प्रकरणों में मुल्जिम नही बनाने का दबाब बनाकर एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.08.2026 को परिवादी शुभम गुप्ता की प्रकरण संख्या 05/26 में रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर पर तारीख पेशी पर उपस्थिति के दौरान आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक द्वारा परिवादी से बीस हजार रूपये कम कर अस्सी हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई एवं परिवादी के निवेदन पर सत्तर हजार रूपये लेने पर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 31.08.2026 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। उक्त मांग के अनुसरण में मोहम्मद नदीम कुरेशी आरक्षक रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर, आउट पोस्ट लाखेरी द्वारा परिवादी श्री शुभम गुप्ता से मांग अनुसार 70,000/-रूपये रिश्वत राशि परिवादी से आरोपी द्वारा अपने बैग मे रखवाये गये को पकडा गया। रिश्वत राशि आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी के काले रंग के बैग से बरामद होना। अभियुक्त मोहम्मद नदीम कुरेशी पुत्र मोहम्मद अलीम कुरेशी जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर हाल आरक्षक रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर, आउट पोस्ट लाखेरी, हाल निवासी धमूड रोड खैरदा पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया

जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाएगी।भवदीय एसडी- (रामेश्वर परिहार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर।…………..कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वर परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी मोहम्मद नदीम कुरेशी पुत्र मोहम्मद अलीम कुरेशी जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बहतेड, पुलिस थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी धमूड रोड खैरदा पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल आरक्षक रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर, आउट पोस्ट लाखेरी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द मीना,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,धौलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 37 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1438-41 दिनांक 03.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रेल्वे सुरक्षा बल कोटा। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/09/2026 15:57:07

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)